दो रुपये TWO RUPEES

PBR/पुनर्स्थापन/होशंगाबाद/भू.रा/2017/3815

(146)

मुकेश कुमार चौहान -------- अपीलार्थी./ पुनरीक्षणकर्ता.

विरुद्ध

राजेन्द्र --------- उत्तरवादी./ अनावेदक.

आवेदन अंतर्गत धारा 35(3) म.प्र. भू-राजस्व संहिता.

- -

अपीलार्थी की ओर से निवेदन है :-

आज दिनांक 26-9-17 को भोपाल कैंप में प्रस्तुत किया
Khushal 26/9/17

श्री रत्नेश दुबे अभिभाषक

NF 31.10.17

01- यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा इस माननीय न्यायालयके समक्ष एकपुनरीक्षण याचिका माननीय अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश केविरूद्ध प्रस्तुत कीथी।

02- यहकि, प्रस्तुत पुनरीक्षणयाचिका माननीय न्यायालयके समक्ष दिनांक- 30.08.17 को ग्राह्यता पर तर्क हेतु नियत थी उक्त दिनांक को आवेदक एवं उसके अधिवक्ता माननीय न्यायालयके समक्ष पुकार केसमय उपस्थित नही हो सके और उनकी अनुपस्थिति मे प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया है।

03- यहकि, आवेदक एवं उसके अधिवक्ता उक्त दिनांक को बस द्वारा भोपाल आ रहे थे रास्ते मेंजाम लग जाने के कारण समय पर उपस्थित नही हो सके इस कारण प्रकरण अदम पैरवी मे खारिज हुआ है।

04- यहकि, आवेदकगणउक्त प्रकरणको पुन: नंबर पर लेने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैंयदि माननीयन्यायालय द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र पुन: नंबर पर नहीं लिया गयातो आवेदकगणको अपूर्तनीय क्षति होगी।

05- यहकि, आवेदकगण, प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका का निराकरण गुण दोषोंके आधारपरकराना चाहते हैं।

अत:माननीय महोदय से निवेदन हैकि आवेदकगण द्वारा

मुकेश चौहान

..2..

(17)

मुकेश / राजेन्द्र

PBR/पुनर्स्थापना/होशं/भू.रा./2017/3815

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
26-12-2017	आवेदक की ओर से श्री रत्नेश दुबे अभिभाषक उपस्थित। रेस्टोरेशन आवेदन पत्र पर सुना गया। रेस्टोरेशन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है मूल निगरानी प्रकरण क्रमांक/PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/2544 पुनः नम्बर पर लिया जावे। यह रेस्टो. प्रकरण समाप्त किया जाता है [signature] अध्यक्ष	[signature]
[signature]		